न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 19/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री शेषाराम 2. रणवीरसिंह पुत्र श्री शेषाराम जातियान जाट निवासीगण बरना रोड़ बेरा खारी वार्ड नं. 6 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा 3. गीतादेवी पत्नी श्री हेमन्त कुमार जाति जाट, निवासी पटवारीजी की ढाणी, ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 4. संतोष चौधरी पत्नी श्री रामसुख डूडी जाति जाट निवासी प्लॉट नं. 55ए, खसरा नम्बर 105, नांदडी, तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 8/6/2022

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गुजरावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार 6 है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा संख्या 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल आई हुई है। जिसके खाता संख्या जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार 905 है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार सहखातेदार किशोरराम, पानी, शिवराम व सुखड़ी पत्नी सोनाराम के नाम से दर्ज है। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है। सुखड़ी पत्नी सोनाराम के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा पूर्व में लिखमाराम पुत्र रावतराम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के नाम से दर्ज था तथा लिखमाराम फौत होने पर लिखमाराम का उक्त हिस्सा लिखमाराम के पुत्र सोनाराम व लिखमाराम की पुत्री पानी के नाम दर्ज हुआ तथा सोनाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 304 द्वारा सोनाराम के स्थान पर सुखड़ी का नाम दर्ज हुआ। सोनाराम वादीगण के मामा थे व सुखड़ी वादीगण की मामी थी। जिनका स्वर्गवास दिनांक 04.02.2022 को हो चुका है। सुखड़ी के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नही है यानि सुखड़ी के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नही है। वादीगण सुखड़ी के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। क्योकि वादीगण सुखड़ी के पति सोनाराम की बहिन पानीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादीगण की माता पानीदेवी का भी स्वर्गवास दिनांक 27.02.2007 को हो चुका है। इसलिए सुखड़ी व पानीदेवी के स्वर्गवास के बाद हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में जरिये उतराधिकार निहित सुखड़ी के 1/4 हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार वादीगण को निहित हो चुके है तथा वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' के सम्बंध में हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार सुखड़ी के द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर सुखड़ी के 1/4 हिस्से की भूमि कानूनन अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारीणी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में दर्ज सुखड़ी के 1/4 हिस्से की भूमि के सम्बंध में वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' पूर्व में वादीगण के नाना लिखमाराम पुत्र रावतराम के नाम से दर्ज थी तथा वादीगण के नाना लिखमाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 379 के जरिये लिखमाराम के स्थान पर लिखमाराम के पुत्र/वादीगण के मामा सोनाराम का नाम दर्ज किया गया तथा वादीगण की माता पानीदेवी जो कि लिखमाराम की पुत्री है, का नाम वादीगण के मामा सोनाराम के संरक्षक के रूप में दर्ज किया गया। जबकि वादीगण की माता पानीदेवी लिखमाराम की पुत्री व लिखमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा वादीगण की माता पानीदेवी का भी लिखमाराम के फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 379 में सोनाराम के साथ नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। वादीगण की माता पानीदेवी लिखमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण की माता को भी वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' के सम्बंध में लिखमाराम के पुत्र सोनाराम के बराबर यानि 1/2 हिस्से के सम्बंध में हक व अधिकार निहित हुए तथा वादीगण की माता पानीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2007 को हो चुका है तथा वादीगण पानीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' के सम्बंध में पानीदेवी के निहित 1/2 हिस्से के सम्बंध

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार हक व अधिकार वादीगण को निहित हो चुके है तथा वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में निहित 1/2 हिस्से के सम्बंध में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारीणी है। हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार सोनाराम को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में 1/2 हिस्सा ही निहित हुआ तथा सोनाराम फौत होने पर वादीगण की मामी सुखड़ी का नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया गया। सुखड़ी का स्वर्गवास दिनांक 04.02.2022 को हो चुका है। सुखड़ी के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नही है यानि सुखड़ी के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नही है। वादीगण सुखड़ी के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। क्योकि वादीगण सुखड़ी के पति सोनाराम की बहिन पानीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादीगण की माता पानीदेवी का भी स्वर्गवास दिनांक 27.02.2007 को हो चुका है। इसलिए सुखड़ी व पानीदेवी के स्वर्गवास के बाद हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में जरिये उतराधिकार निहित सुखड़ी के 1/2 हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार वादीगण को निहित हो चुके है तथा वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' के सम्बंध में हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार सुखड़ी के द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर सुखड़ी के 1/2 हिस्से की भूमि कानूनन अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारीणी है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादीगण की माता पानीदेवी का स्वर्गवास होने व सुखड़ीदेवी का लाऔ़लाद स्वर्गवास होने से वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हो गये है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' की सम्पूर्ण भूमि के सम्बंध में वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' के सम्बंध में खातेदारी दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को दिनांक 16.02.2022 को निवेदन किया गया, तो प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' को वादीगण के नाम से दर्ज करने हेतु सक्षम नही है। इस हेतु वादीगण सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा का दावा पेश करे। इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में दर्ज सहखातेदार किशोरराम पुत्र चिमनाराम, शिवराम पुत्र चुतराराम व पानीदेवी पुत्री लिखमाराम के विरूद्ध वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में किसी भी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। इसलिए उपरोक्त सभी सहखातेदार प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही होने के कारण इनको पक्षकार नही बनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गुजरावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' खसरा संख्या 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज सुखड़ी पत्नी सोनाराम के 1/4 हिस्से के संबंध में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' खसरा संख्या 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा संख्या 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुजरावास के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 चालू जमाबन्दी के खाता संख्या 6 में किशोरराम पुत्र चिमनाराम 1/4 जाति जाट सा. मालकोसनी, पानी पत्नी लिखमाराम 1/4 जाति जाट सा. मालकोसनी, सुखडी पत्नी सोनाराम 1/4 जाति जाट सा. मालकोसनी, शिवराम पुत्र चुतराराम 1/4 जाति जाट सा. मालकोसनी के नाम खसरा नम्बर 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। राजस्व ग्राम मालकोसनी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 6 में सुखड़ी पत्नी सोनाराम जाति जाट सा देह खातेदार, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नम्बर 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.4918 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज है। राजस्व ग्राम मालकोसनी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 के खाता संख्या 387 में लिखमा पि. रावत के फौत होने पर सोनिया पि. लिखमा, गार्जिन पानी पुत्री लिखमाराम जाति जाट दर्ज किया गया। इसके बाद सोनिया पुत्र लिखमा के फौत होने पर नामा. संख्या 1297 के जरिये सुखड़ी बेवा सोनाराम दर्ज किया गया व गार्जिन पानी पत्नी लिखमा का नाम हटा दिया गया। जो आज तक जमाबन्दी में दर्ज नही है। चालू जमाबन्दी चौसाला सवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 6 में सुखड़ी पत्नी सोनाराम जाति जाट के नाम खातेदारी दर्ज है। पद संख्या 5 से 9 न्यायिक है। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बारानी तृतीय में 1/4 हिस्सा सुखड़ी पत्नी सोनाराम 1/4 के स्थान पर व मालकोसनी के खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर में 1/4 व ग्राम मालकोसनी के खसरा नम्बर 210 रकबा 0.0340 हैक्टेयर खसरा संख्या 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर में वादीगण के खातेदार घोषित किये जाने में भूमिधारी सहमत है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से दुरूस्ती हेतु सहमति जाहिर किये जाने से तनकीयात की आवश्यकता नही रही। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 पेश किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा संख्या 134 ग्राम गुजरावास की जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 1 है, खसरा संख्या 134 ग्राम गुजरावास की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की ई प्रति प्रदर्श 2 है, खसरा संख्या 210 ग्राम मालकोसनी की जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028, संवत् 2029 से 2032, सम्वत् 2050 से 2053 की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमशः प्रदर्श 3 से 5 है, खसरा संख्या 210 ग्राम मालकोसनी की चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की ई प्रति प्रदर्श 6 है, पानीदेवी व सुकड़ी के मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमश प्रदर्श 7 से 8 प्रदर्शित करवाये गये।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादीं की दुरूस्ती के सम्बंध में सहमति के आधार पर ग्राम गुजरावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज सुखड़ी पत्नी सोनाराम के 1/4 हिस्से के संबंध में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तथा राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा संख्या 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम गुजरावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज सुखड़ी पत्नी सोनाराम के 1/4 हिस्से के संबंध में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा संख्या 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री शेषाराम 2. रणवीरसिंह पुत्र श्री शेषाराम जातियान जाट निवासीगण बरना रोड़ बेरा खारी वार्ड नं. 6 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा 3. गीतादेवी पत्नी श्री हेमन्त कुमार जाति जाट, निवासी पटवारीजी की ढाणी, ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 4. संतोष चौधरी पत्नी श्री रामसुख डूडी जाति जाट निवासी प्लॉट नं. 55ए, खसरा नम्बर 105, नांदडी, तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 19/2022

निर्णय दिनांक :– 8/6/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम गुजरावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज सुखड़ी पत्नी सोनाराम के 1/4 हिस्से के संबंध में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा संख्या 755 रकबा 2.4594 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/6/2022 को जारी की गई।

	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
मुदायराह			मुदायराह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा